

कार्यालय जिला कलेक्टर, भरतपुर
अपील / आरटीआई / 21 / 2023

श्री राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व० श्री पूरनाराम शर्मा, ग्राम फतेहपुर कलौ पो०
मूडौती वाया नगर तहसील नगर जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्टर, भरतपुर
.....रसमी०

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 28.6.2023

अपीलार्थी श्री राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व० श्री पूरनाराम शर्मा, ग्राम फतेहपुर कलौ पो० मूडौती वाया नगर तहसील नगर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 25-4-2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलेक्टर भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की गई। सूचना का प्रकरण राजस्व शाखा कलेक्टर से सम्बन्धित होने से, इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 380 दिनांक 8.6.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग (ए.डी.एम.) कलेक्टर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग (ए.डी.एम.) कलेक्टर का जवाब पत्र क्रमांक राजस्व / आरटीआई / 12 / 12 / 2023 / 7398 दिनांक 26.6.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग (ए.डी.एम.) कलेक्टर से प्राप्त जवाब दिनांक 26.6.2023 का अवलोकन किया गया, प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग (ए.डी.एम.) कलेक्टर ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना में से बिन्दू संख्या 1 व 3 की सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 4391

.....2

(2) अपील/आरटीआई/21/2023
राधेश्याम पुरोहित बनाम ओ.आई.सी.राजस्व अनुभाग

दिनांक 22.6.2022 से जरिये डाक भिजवाई जा चुकी है, बिन्दू संख्या 2 की सूचना तहसीलदार नगर से सम्बन्धित होने के कारण तहसीलदार नगर को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के उक्त जबाब से यह स्पष्ट है कि बिन्दू संख्या 1 व 3 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है, बिन्दू संख्या 2 की सूचना बावत तहसीलदार नगर को लिखा गया है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार नगर को निर्देशित किया जाता है कि अति० जिला कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट भरतपुर के पत्र पृष्ठांकन राजस्व/आरटीआई/12/12/23/4391 दिनांक 22.6.2023 से सम्बन्धित प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू 02 की सूचना अपीलार्थी अन्दर 15 दिवस उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंगन कर) सूचनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर को एवं तहसीलदार नगर को पालानार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर,
भरतपुर